



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042024-253765
CG-DL-E-18042024-253765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2024/चैत्र 27, 1946

No. 258]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2024/CHAITRA 27, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2024

सं. पीपीआर/पी/87/15/डीडी/68/आईएनएफ/2015/बीओडी/314/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन बोर्ड ने सीए. मुसालैयह पेनागलूरी (सदस्यता संख्या 023675), सी-26-108, जयानगर कॉलोनी, कडपा (आंध्र प्रदेश) 516002, को उक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 15(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. मुसालैयह पेनागलूरी (सदस्यता संख्या 023675) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. मुसालैयह पेनागलूरी (सदस्यता संख्या 023675) का नाम 16 अप्रैल, 2024 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./027/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Chartered Accountants)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2024

No. PPR/P/87/15/DD/68/INF/2015/BOD/314/2017.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Musalaiah Penagaluri(M. No. 023675), C-26-108, Jayanagar Colony, KADAPA(Andhra Pradesh) 516002**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Section 22 of the said Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the aforesaid Rules ordered for removal of the name of **CA. Musalaiah Penagaluri(M. No. 023675)** from the Register of Members for a period of 01(One) month. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Musalaiah Penagaluri(M. No. 023675)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 16th April, 2024.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./027/2024-25]